न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– अमीलाल यादव आर.ए.एस.

मु.नं.:– 103/2024

जगदीश पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू

.........प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू

.........अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थितः– 1. मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24-12-2024.

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू के खेत खसरा संख्या 118 तादादी 5 बीघा 10 बिश्वा भूमि में सें उत्तरी साईड की 02 बीघा भूमि बाबुलाल पुत्र जीवणराम जाति सुथार निवासी बाढसर से जरीये पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 30.06.2008 कार्यालय उप पंजियक बीदासर के आधार पर कय की थी। प्रार्थी द्वारा भूमि कय करने के बाद पंजीकृत विकय पत्र की फोटोप्रति हल्का बाढसर को नामान्तरण दर्ज करने हेतु दी थी। पटवारी हल्का बाढसर ने प्रार्थी के नाम से खरीद शुद्वा भूमि का नामान्तरण दर्ज कर दिया। उसके बाद प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 118 मिन तादादी 02 बीघा में सें 3573.38 वर्गमीटर भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू से करवाया, जो कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चूरू द्वारा दिनांक 31.07.2009 को आदेश जारी किया गया। उक्त संपरिवर्तन आदेश की एक प्रति तहसीलदार बीदासर के मार्फत हल्का पटवारी बाढसर को रूपान्तरण का नामान्तरण दर्ज करने हेतु दी गई। हल्का पटवारी बाढसर ने उक्त संपरिवर्तन आदेश की पालना में रूपान्तरकरण का नामान्तरण संख्या 555 दर्ज कर दिनांक 24.08.2009 को स्वीकृत करवाया, जिसके उपरान्त रूपान्तरित भूमि का खसरा संख्या 782/765 रकबा 0.3541 हेक्टेयर व शेष कृषि भूमि का खसरा संख्या 783/765 रकबा 0.1518 हेक्टेयर का बनाया। उक्त संपरिवर्तन आदेश में 3573.38 वर्गमीटर भूमि का औधोगिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन किया गया है। जबकि हल्का पटवारी बाढसर ने नामान्तरण संख्या 555 दर्ज करते समय संपरिवर्तित रकबा 3541 वर्गमीटर दर्ज कर दिया। इससे संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबे व राजस्व रेकार्ड में दर्ज रकबे में अंतर आ गया। हल्का पटवारी बाढसर को वास्तव में संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबा 3573.38 वर्गमीटर नामान्तरण संख्या 555 में दर्ज करना था। जो नहीं किया गया। इस कारण संपरिवर्तित रकबा कम हो गया ओर पिछे जो कृषि का रकबा बचा था वो बढ गया। इस कारण संपरिवर्तन आदेश व राजस्व रेकार्ड में भिन्नता आ गई। वास्तव में संपरिवर्तित भूमि का रकबा 3573.38 वर्गमीटर व शेष कृषि का रकबा 1486 वर्गमीटर दर्ज करना था। जो नहीं किया गया। पटवारी हल्का बाढसर ने रूपान्तरण के नामान्तरण संख्या 555 में रकबा कम ज्यादा कर दिया। इस कारण संपरिवर्तन आदेश व राजस्व रेकार्ड में भिन्नता आ गई। पटवारी हल्का बाढसर को संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबा का नामान्तरण करना था जो नहीं किया गया। हल्का पटवारी बाढसर ने आदेश के मुताबिक रकबा का अंकन नहीं किया। पटवारी हल्का बाढसर का यह कर्तव्य था कि वो संपरविर्तन आदेश में अंकित रकबा ही

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... सत्यमेव जयते ... जिला चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

रूपान्तरण के नामान्तरण में अंकित करे। जबकि पटवारी हल्का बाढसर द्वारा ऐसा नहीं करके अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है। प्रार्थी की खरीद शुद्धा भूमि का रूपान्तरित भूमि के रकबे का मिलान संपरिवर्तन आदेश से नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी परेशानी हो रही है। राजस्व रेकार्ड से रकबा का मिलान नहीं होने से प्रार्थी को बैंक से ऋण लेने व अन्य कार्यों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि वो संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवावे। जिसके लिए प्रार्थी को कानूनी अधिकार है। प्रार्थी को अपने खेत की जमाबंदी की आवश्यकता होने पर जब हल्का पटवारी से जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब प्रार्थी को अपने खेत की जमाबंदी को देखने पर पता चला की वर्तमान जमाबंदी संपरिवर्तन आदेश के मुताबिक नहीं है। तब पटवारी से पुछताछ करने पर पता चला की जमाबंदी का रकबा रूपान्तरण का नामान्तरण दर्ज करने के वक्त से गलत चला आ रहा है। हल्का पटवारी ने अपने स्तर पर संशोधन करने से इनकार कर दिया। प्रार्थी ने दिनांक 21.10.2024 को अप्रार्थी से मौखिक रूप से निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबा को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करावें। इस पर अप्रार्थी ने साफ इनकार कर दिया। इसलिए प्रार्थी के लिए आवश्यक हो गया कि वोह न्यायालय के मार्फत संपरिवर्तन आदेश में अंकित रकबा को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करावें। राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थना–पत्र राजस्व रेकार्ड में संशोधन का है तथा वादगत खेत रोही ग्राम बाढसर तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। इस कारण इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार श्रीमानजी के न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना–पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर अवधि भितर प्रस्तुत है। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार बीदासर ने अपना जवाब पेश कर दिया है जिसमें राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती का है। पटवारी हल्का द्वारा नामांतरण दर्ज करते समय रकबा में अशुद्वि हुई है जो लिपिकिय त्रुटी के अंतर्गत आती है जिसको शुद्व किया जाना उचित प्रतित होता है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर रोही ग्राम बाढसर के खसरा संख्या 782/765 का रकबा 0.3541 हेक्टेयर की जगह 0.3573 हेक्टेयर दर्ज करने व खसरा संख्या 783/765 का रकबा 0.1518 हेक्टेयर की जगह 0.1486 हेक्टेयर दर्ज करने का आदेश तहसीलदार बीदासर को दिया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे। निर्णय आज दिनांक 24/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)